राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	छाजूराम बनाम नानगराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 09/04/2026 को पेश हो।	
09/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत ईस्तकरारहक़, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण ग्राम मूण्डली तहसील बस्सी जिला जयपुर के वाशिन्दे है तथा काश्त पेशा व्यक्ति है। वादीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि अन्य दीगर भूमि के साथ खसरा नं 337 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, ख.नं 337/1 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, ख.न 2 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, ख.नं. 3 रकबा 16 बिस्वा ख. नं 348 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, ख. 354 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वां कुल रकबा 16 बीघा 1 बिस्वा ग्राम मूण्डली तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है। वादीगण की उपरोक्त कब्जे व खातेदारी की भूमि पर वादीगण बजमाने बुजुर्ग एकीकरण से भी पूर्व से काबिज काश्त चले आ रहे है। दौराने एकीकरण कार्यवाही वादीगण की खातेदारी की कब्जे काश्त की भूमि हाल खसरान 337, 337/1 लगायत 3 कायम कर उसकी खातेदारी तो वादीगण के नाम सही दर्ज कर दी लेकिन नक्शे में दर्शात भू भाग के अनुसार नये नक्शे में तरमीम नहीं की। तथा वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी हाल खसरा नं 336/2 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, ख.नं 3 रकबा 18 बिस्वां वादीगण की भूमि से पृथक कर प्रतिवादी सं 1 की खातेदारी में दर्ज कर दिया जिसके फलस्वरूप वादीगण की करीब 3 बीघा भूमि उक्त गलत इन्द्राज से कम हो गई। वादीगण की खातेदारी में रकबा सही दर्ज हो गया परन्तु मौके पर वादीगण की भूमि ख.नं. 337 नक्शे में दर्शायी गई भूमि से ख.न. 336/2, 3 बनाकर प्रतिवादी के नाम दर्ज कर देने से मौके पर हाल खसरा नम्बर का सही रकवा नहीं बैठता तथा कम बैठता है। वादीगण हाल खसरा नं 336/2, 3, 137, 137/12, 3 व 347, 1 2, 3, 4, की भूमि पर बजमाने जागीर से अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व से बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है तथा निरन्तर निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। तथा प्रतिवादीगण का 336/2, व 3 रकबा 3 बीघा पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। न कोई सम्बन्ध सरोकार ही रहा है वादीगण आज भी अपनी भूमि पर काबिज काश्त है। भू प्रबन्ध कार्यवाही	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	छाजूराम बनाम नानगराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए.
	451/2018	

के दौरान एकीकरण अधिकारियों को पूर्व राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज को ही दोहराने की शक्तियां प्रदत्त है। उन्हें गत राजस्व अभिलेख में बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के परिवर्तन करने अथवा किसी खातेदारी परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था परन्तु एकीकरण अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि से बनाये हाल ख.न 336/2 व 3. रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा की खातेदारी बिना राजस्व रिकार्ड देखे व बिना कब्जे मौके की जांच किये अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दिया। एकीकरण कार्यवाही के एकीकरण कर्मचारियों द्वारा किया गया गलत इन्द्राज पूर्णतया अवैध एवं प्रभाव शून्य है तथा बमुकाबले वादीगण क्लेदम व बेअसर है। अप्रार्थीगण को उक्त अवैध इन्द्राज के आधार पर वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार से कोई हित व अधिकार अर्जित नहीं होते है। भूमि हाल खसरा नं 336/2, 3 प्रार्थीगण की कब्जे व खातेदारी की भूमि से बने है तथा उसी के भू-भाग है जिसको एकीकरण, कर्मचारियों ने प्रार्थीगण के नाम ही अंकित किया जाना चाहिए था परन्तु अप्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ कर प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित भूमि को अपनी खातेदारी में अवैध रूप से दर्ज करा लिया। एकीकरण कार्यवाही में किये गये क्षेत्राधिकार विहीन अवैध इन्द्राज को किसी भी अवस्था में कायम नहीं रखा जा सकता है। प्रार्थीगण ही उक्त वर्णित भूमि के कानूनन खातेदार है तथा काबिज रह काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण को एकीकरण कार्यवाही के दौरान अपनी भूमि के प्रतिवादी के नाम हुए अवैध इन्द्राज की पूर्व में कतई जानकारी नहीं थी। वादीगण मुतवातिर अपनी कब्जे काश्त की भूमि पर काबिज चले आ रहे है। दिनांक 15/7/2011 को प्रतिवादी ने वादीगण को भूमि पर से कब्जा हटाने को कहा तथा भूमि उनकी खातेदारी में लगना जाहिर किया व भूमि को विक्रय करने की ऐलानिया धमकी दी तो वादीगण को बडा आश्चर्य हुआ तथा वादीगण को दावा दायर कर अपनी भूमि के हुए अवैध इन्द्राज को निरस्त कराकर खातेदार काश्तकार घोषित कराना आवश्यक हुआ तथा प्रतिवादी द्वारा एकीकरण कार्यवाही के दौरान हुए अवैध इन्द्राज के आधार पर वादीगण को उनकी भूमि से बेदखल करने तथा भूमि का दीगर लोगों को हस्तान्तरण करने के कारण उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना आवश्यक हुआ है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु हो जाने के कारण तथा वांछित समयावधि व्यतीत हो जाने पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29/05/2018 पारित करते हुये वादी का

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	छाजूराम बनाम नानगराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	451/2018	

वाद अबेट हो जाने के कारण ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस को उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय आदेशिकाए एवं अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु की सूचना दिनांक 22/05/2017 को अपीलार्थी/वादी को जरिये आदेशिका हो जाने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम को रिकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र वादी को पेश करने की हिदायते निरन्तर दिये जाने के पश्चात भी अपीलार्थी/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेशो की अवहेलना किये जाने के परिणामस्वरूप ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसरण में ही अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुये वादी का वाद अबेट होना धारित कर ख़ारिज किया गया ह ई, जिसमे कोई विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है एवं अपील के माध्यम से अपीलार्थी/वादी को उनके द्वारा बरती गयी शिथिलता का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित्त नही समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29/05/2018 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 09/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |